रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2015/आश्विन 7, 1937
No. 336] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2015/ASVINA 7, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 23 सितम्बर, 2015

सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी.–महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतदद्वारा, संलग्न आदेशानुसार, पत्तन पर कार्गो प्रहस्तन प्रभाग में प्रति टन की दर से श्रमिक मजदूरी के निर्धारण के संबंध में आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी, दिनांक 04 अगस्त, 2014 में उल्लिखित नोट में संशोधन के लिए, कांडला पत्तन न्यास के अनुरोध का निपटान करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी

कांडला पत्तन न्यास **आवेदक**

कोरम:

(i) श्री टी. एस .बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितम्बर 2015 के चौथे दिन पारित)

यह मामला, इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी, दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा अनुमोदित केपीटी के कार्गो प्रहस्तन प्रभाग के लिए प्रति टन की दर से श्रमिक मजदूरी के निर्धारण के लिए प्राधिकरण के दिनांक 04 अगस्त, 2014 के आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी में उल्लिखित नोट में संशोधन के बारे में है ।

2.1. इस प्राधिकरण द्वारा पत्तन के सीएचडी में, प्रति टन की दर से श्रमिक मजदूरी के निर्धारण के लिए केपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का निपटान करते हुए, आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी, दिनांक 13 अगस्त, 2013 में जारी किया गया था जिसे भारत के राजपत्र में 02 सितंबर, 2013 को राजपत्र सं. 229 पर अधिसूचित किया गया था ।

2.2. केपीटी के द्वारा किए गए अनुरोध पर कथित आदेश में खंड 3 के नीचे निम्नलिखित नोट का उल्लेख किया गया था, केपीटी के दरमानों (एसओआर) के अध्याय-III के अंतर्गत कार्गो प्रहस्तन प्रभाग में कार्यरत्त श्रमिकों की मजदूरी की मिलीजुली दर:-

"प्रति टोली लागत के परिकलन के लिए, पोतीय मजदूरों द्वारा प्रहस्तित वास्तविक मात्रा के राजस्व को वास्तविक टोलियों की संख्या से विभाजित किया जाए और उसकी, राजस्व-मांग प्रति टोली के साथ तुलना की जाए। यदि, राजस्व की प्रति टोली वास्तविक मांग, अधिकतम औसतन राजस्व-मांग प्रति टोली रु. 24,555/- से अधिक हो तो आधिक्य पोतीय मजदूरों को दिया जाएगा जबकि कम होने पर कमी पोतीय मजदूरों से वसूल की जाएगी।"

2.3. उसके पश्चात, केपीटी द्वारा उनके 10 मार्च, 2014 के पत्र के माध्यम से इन नोट में संशोधन की मांग की गई। केपीटी द्वारा तटीय और विदेशी कार्गो के प्रहस्तन के लिए राजस्व मांग से संबंधित विसंगति को दूर करने के लिए लिखित तौर पर इस नोट के स्थान पर इस नोट का उल्लेख करने का अनुरोध किया गया :

"प्रति टोली लागत के परिकलन के लिए, पोतीय मजदूरों द्वारा प्रहस्तित वास्तविक मात्रा के राजस्व को वास्तविक टोलियों की संख्या से विभाजित किया जाए और उसकी, राजस्व-मांग प्रति टोली के साथ तुलना की जाए। यदि, राजस्व की प्रति टोली वास्तविक मांग, विदेशी कार्गो के लिए(लौह अयस्क और तापीय कोयला को छोड़ कर) अधिकतम औसतन मांग प्रति टोली रु. 25,575/-, तटीय कार्गो के लिए (लौह अयस्क और तापीय कोयला को छोड़ कर) रु. 15,347/- और रु. 24,555/- लौह अयस्क और तापीय कोयला के लिए, से अधिक हो, तो आधिक्य पोतीय मजदूरों को दिया जाएगा जबकि कम होने पर कमी पोतीय मजदूरों से वसूल की जाएगी"

2.4. केपीटी द्वारा किए गए उपर्युक्त अनुरोध कि परिप्रेक्ष्य में इस प्रधिकरण द्वारा 04 अगस्त, 2014 को एक आदेश सं. टीएएमपी/41/ 2012-केपीटी जारी किया गया । कथित आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी, दिनांक 13 अगस्त, 2013 में खंड 3 के नीचे दिए गए नोट के स्थान पर अधोलिखित नोट प्रस्थापित किया गया :

"प्रति टोली लागत के परिकलन के लिए, पोतीय मजदूरों द्वारा प्रहस्तित वास्तविक मात्रा के राजस्व को वास्तविक टोलियों की संख्या से विभाजित किया जाए और उसकी, राजस्व-मांग प्रति टोली के साथ तुलना की जाए। यदि, वास्तविक राजस्व प्रति टोली, विदेशी कार्गो प्रहस्तन के लिए अधिकतम औसतन राजस्व-मांग प्रति टोली रु. 24,555/- से अधिक हो, तटीय कार्गो प्रहस्तन के लिए रु. 14,733/- (तापीय कोयला और कच्चा तेल, लौह अयस्क, लौह अयस्क पल्लों सहित पीओएल को छोड़ कर) अधिक हो, तो आधिक्य पोतीय मजदूरों को दिया जाएगा जबकि यह कम होने पर कमी पोतीय मजदूरों से वसूल की जाएगी।"

2.5. कथित संशोधित नोट को मूल आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी, दिनांक 13 अगस्त, 2013 से वैध घोषित किया गया था।

3.1. दिनांक 04 अगस्त, 2014 के कथित आदेश के संबंध में केपीटी ने अपने पत्र शून्य सितंबर 2014 के अंतर्गत निम्नानुसार अनुरोध किया है :-

(i) दिनांक 04 अगस्त, 2014 के आदेश के पैरा 4(vii)(क) में उल्लिखित है कि तटीय कार्गो के प्रभाव को पहले से ही उपयुक्त संबंधित कार्गो के लिए शामिल किया गया है । अर्थात राजस्व की गणना में लौह अयस्क और तापीय कोयला को छोड़ कर अन्य के लिए प्रति टोली औसतन रु. 24,555 रखा गया है । आदेश के कथित पैरा में दिए गए उदाहरण में, खाद के विदेशी और तटीय कार्गो के कुल आवागमन से लिए रु. 59.51 और रु. 39.71 प्रतिटन की दर से क्रमश: रु. 66,021,817 और रु. 4,401,454 परिकलित होते हैं जो कुल राजस्व 70,423,271 बनता है। 2868 टोलियां मानते हुए प्रत्येक टोली के हिस्से के रु. 24,555 बनते हैं। इस प्रकार, लेवी के लिए तटीय कार्गो का प्रभाव, विदेशी कार्गो में पहले ही शामिल है ।

(ii) यह स्वीकार किया जाता है कि विदेशी कार्गो के लिए लेवी गणित करने में तटीय कार्गो का प्रभाव पहले से ही विचारित है फिर भी यदि खंड-3 में उल्लिखित नोट में विचार नहीं किया गया है तो विदेशी कार्गो के लिए वसूली परिकलित करते समय तटीय कार्गो का पहले से ही शामिल प्रभाव हटा दिया जाएगा।

(iii) दिनांक 04 अगस्त, 2014 के आदेश के पैरा 4(vii)(क) में दिए गए उदाहरण के संदर्भ में पत्तन ने उल्लेख किया है कि विदेशी और तटीय कार्गो में क्रमश: 90:10 के अनुपात पर विचार करते हुए, विदेशी और तटीय कार्गो का औसत वार्षिक राजस्व-मांग इस प्रकार है:-

कुल टोलियां	2868
विदेशी : तटीय अनुपात	90:10
विदेशी कार्गो प्रहस्तन के लिए टोलियों की संख्या	2581.2
तटीय विदेशी कार्गो प्रहस्तन के लिए टोलियों की संख्या	286.8
विदेशी कार्गो से प्रति टोली औसतन राजस्व	66021817 / 2581.2= रु. 25577.95 प्रति टोली
विदेशी कार्गो से प्रति टोली औसतन राजस्व	4401454 / 286.2 = रु. 15346.77 प्रति टोली

(iv) इसलिए, दिनांक 4 अगस्त, 2014 के आदेश में नोट सं. 3 में संशोधन के अनुसार विदेशी व तटीय कार्गो के प्रहस्तन से केपीटी को प्रति समूह हानि इस प्रकार है :

विदेशी कार्गो	रु. 25577.95 (-) रु. 24555.00 = रु. 1022.95 प्रति टोली
तटीय कार्गो	रु. 15346.77 (-) रु. 14733.00 = रु. 613.77 प्रति टोली

(v) विदेशी और तटीय कार्गो के 90:10 के अनुपात में पत्तन द्वारा प्रहस्तित 10 इकाइयों के प्रहस्तन के लिए कार्यपरक श्रम-प्रभार इस प्रकार वसूला जाएगा :

<u>केपीटी के प्रस्ताव अनुसार</u>			<u>प्राधिकरण के दिनांक 4.8.2014 के आदेशानुसार</u>		
(रूपयों में)			(रुपयों में)		
विदेशी कार्गो	9*25578=	230202	विदेशी कार्गो	9*24555=	220995
तटीय कार्गो	1*15347=	15347	तटीय कार्गो	1*14733=	14733
कुल 10 यूनिट के लिए		245549	कुल 10 यूनिट के लिए		235728
इसलिए प्रति यूनिट =		24554.9	इसलिए प्रति यूनिट =		23572.8
मान लो अर्थात रु.		24555/-	मान लो अर्थात रु.		23573/-

(vi) उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, प्रस्ताव अनुसार, प्रति टोली औसतन राजस्व रु. 24,555 होना चाहिए जो कि टीएएमपी के आदेश सं टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 13 अगस्त, 2013 के अनुसार है जबकि टीएएमपी के दिनांक 04 अगस्त 2014 के आदेशानुसार प्रति टोली औसतन राजस्व 23,573 होगा जो कि टीएएमपी के दिनांक 13 अगस्त 2013 के आदेश के अंतर्गत अनुमोदित प्रति टोली राजस्व-मांग से कम है ।

3.2. केपीटी के द्वारा उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए दिनांक 04 अगस्त 2014 के आदेश में विदेशी और तटीय कार्गो के लिए निर्धारित रु. 24,555/- और रु.14,733/- की अपेक्षा तापीय कोयला को छोड़कर और क्रूड आयल सहित पीओएल, लौह अयस्क और लौह अयस्क पल्लों के लिए क्रमश: रु. 25,578 और रु. 15,347/- पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। केपीटी द्वारा तदनुसार निम्नलिखित नोट का प्रस्ताव किया गया है (संशोधन मोटे अक्षरों/अंकों में):

"प्रति टोली लागत के परिकलन के लिए , पोतीय मजदूरों द्वारा प्रहस्तित वास्तविक मात्रा के राजस्व को वास्तविक टोलियों की संख्या से विभाजित किया जाए और उसकी, राजस्व-मांग प्रति टोली के साथ तुलना की जाए। यदि, प्रति टोली वास्तविक राजस्व, विदेशी कार्गो के प्रहस्तन के लिए अधिकतम औसतन राजस्व-मांग प्रति टोली रु. 25,578/-, या तटीय कार्गो के लिए रु. 15,347/- (तापीय कोयला और कच्चा तेल, लौह अयस्क, लौह अयस्क पल्लों सहित पीओएल को छोड़ कर) से अधिक हो, तो आधिक्य पोतीय मजदूरों को दिया जाएगा जबकि यह कम होने पर कमी पोतीय मजदूरों से वसूल की जाएगी।"

3.3. तत्पश्चात केपीटी द्वारा इस मामले पर लगातार कार्रवाई का अनुरोध किया जाता रहा है।

4.1. दिनांक 13 अगस्त, 2013 के आदेश के साथ अनुलग्नक-II के तौर पर संलग्न लागत विवरणी के अनुसार सीएचडी के लिए औसत राजस्व मांग का आकलन रु. 24,555/- प्रति टोली किया गया है। प्रति टोली की औसत मांग रु. 24,555/- लेते हुए ही, तटीय कार्गो के लिए दी जाने वाली रियायत को शामिल करने के बाद ही प्रत्येक वस्तु के लिए प्रति टन दर का निर्धारण किया जाता है। केपीटी ने यह भी स्वीकार किया है कि विदेशी और तटीय कार्गो के प्रहस्तन हेतु प्रति टन दर निकालने के लिए तटीय कार्गो के प्रभाव पर विचार किया जाता है। यह मानना होगा कि वर्तमान मामले में प्रति टन दर लागू करने में अनुसूची में उल्लिखित नोट का प्रभाव पड़ता है। कथित नोट के अनुसार प्रति टोली अर्जित वास्तविक राजस्व निकालने के लिए निर्धारित प्रति टन दर से पोतीय श्रमिकों द्वारा एकत्रित वास्तविक राजस्व को तैनात टोलियों की संख्या से विभाजित करना होता है। इसकी, नोट में निर्धारित प्रति टोली अधिकतम राजस्व से तुलना की जाती है अर्थात रु. 24,555/प्रति टोली विदेशी कार्गो के लिए तथा रु. 14,733/टोली तटीय कार्गो के लिए। केपीटी का मत यह है कि प्रति टन दर निर्धारित करने समय तटीय रियायत के प्रभाव पर तो विचार किया गया है परंतु नोट में विदेशी/तटीय कार्गो के लिए आकलित प्रति टोली औसतन राजस्व के आधार पर रु. 24,555 पर प्रति टोली अधिकतम राजस्व का निर्धारण करते समय तटीय रियायत पर विचार नहीं किया गया है। परिणामत: पतन को हानि हुई है सिे केपीटी द्वारा उदाहरण के रुप में पेश किया गया है।

4.2. इस प्रयोजन के लिए कथित आदेश में केपीटी द्वारा आकलित खाद/अपरिष्कृत खाद सामग्री (ब्रेक बल्क कार्गो) के आमद-रफत के संदर्भ में 1,109,422 टन विदेशी कार्गो (90 प्रतिशत) और 1,23,269 टन तटीय कार्गो (10 प्रतिशत) का उदाहरण नीचे तालिका के रुप में प्रस्तुत है:

क्रम सं.	विवरण	खाद/अपरिष्कृत खाद सामग्री (विदेशी कार्गो 90 प्रतिशत)	खाद/अपरिष्कृत खाद सामग्री (तटीय कार्गो 10 प्रतिशत)	कुल
(i).	13 अगस्त 2013 के आदेश अनुसार खाद/ अपरिष्कृत खाद सामग्री की आमद-रफत का आकलन(टनों में)	1,109,422	123,269	1,232,691
(ii).	कथित आदेश दिनांक 13 अगस्त 2013 में उल्लिखित दर, तटीय रियायत के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात (रु. प्रतिटन)	59.51	35.71	--
(iii).	निर्धारित दर पर एकत्रित राजस्व (रूपयों में)	66,021,703	4,401,936	70,423,639
(iv).	तैनात की जाने वाली टोलियों की संख्या			2,868
(v).	प्रति टोली औसतन राजस्व मांग(रु./टोली)			24,555
(vi).	04 अगस्त, 2014 के आदेश में खंड 3 के नोट में निर्धारित औसतन राजस्व मांग **(रु. प्रति टोली)**	**24,555**	**14,733** (*तापीय कोयला, कच्चा तेल, लौह अयस्क पल्लों व लौह अयस्क सहित पीओएल को छोड़ कर*)	**--**

ऊपर तालिका में क्रम सं. (iii) पर प्रस्तुत राजस्व का आकलन आदेश के पैरा 4(vii) में दिए गये आकलन से थोड़ा भिन्न है जिसमें खाद कार्गो के विदेशी कागों के लिए निर्धारित रु. 66021817 और तटीय कार्गो के लिए निर्धारित रु. 4,401,454 के कुल जोड़ रूपये 70423271 का उल्लेख किया गया है। ऐसा इसलिए है कि अगस्त 2014 में विचारित यूनिट दर (एक्सल पर परिकलित)में डेसीमल को दो अंकों में बदला नहीं गया। फिर भी यह केवल एक उदाहरण स्वरुप है और इससे प्रति टोली औसतन राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है जो 13 अगस्त, 2013 के आदेश में रु. 24,555 प्रति टोली, 04 अगस्त 2014 और वर्तमान में आकलित है।

4.3. उपर्युक्त उदाहरण के संदर्भ में, केपीटी द्वारा परिकलन करके दिखाया गया है कि अनुसूची में खंड 3 के नीचे नोट में निर्धारित प्रति टोली अधिकतम राजस्व में तटीय रियायत के प्रभाव पर विचार न करने से, विदेशी कार्गो के लिए रु.1033 प्रति टोली और तटीय कार्गो के लिए रु. 614 प्रति टोली की हानि होगी। यह स्थिति इसलिए पैदा होती है कि वह टोली जिसे तटीय और विदेशी कार्गो के प्रहस्तन पर लगाया जाता है उसे नोट में प्रति टोली अधिकतम राजस्व के निर्धारण के प्रयोजन के लिए विदेशी/तटीय के अनुपात में अलग अलग नहीं किया गया है। केपीटी द्वारा अब प्रस्तुत किया गया विस्तृत उदाहरण, 04 अगस्त 2014 के पिछले आदेश की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था। केपीटीके अनुरोध के आधार पर जिसके समर्थन में पत्तन ने ऊपर पैरा 3.1.(iii), (iv) और (v) में उदाहरण दिए हैं। केपीटी के प्रस्ताव अनुसार

4 अगस्त 2014 के आदेश में निर्धारित नोट में संशोधन का मामला बना है। केपीटी के निवेदन में दिए गए उदाहरण नीचे सांमजस्यपूर्ण ढंग से दिए जाते हैं:

क्रम सं.	विवरण	खाद/अपरिष्क़त खाद सामग्री (विदेशी कार्गो 90 प्रतिशत)	खाद/अपरिष्क़त खाद सामग्री (तटीय कार्गो 10 प्रतिशत)	कुल
(i).	04 अगस्त, 2014 के आदेश में प्रधिकरण द्वारा निर्धारित प्रति टोली औसतन राजस्व	24,555	14,773	--

	(रु./टोली)			
(ii).	ऊपर पैरा 4.3**,** क्रम सं. **(iii)** में दिए गए अनुसार निर्धारित प्रति टन दर **(**रूपयों में**)** से वसूली योग्य राजस्व	66,021,703	4,401,936	70,423,639
(iii).	तैनात की जाने वाली टोलियां (अनुपात- 90:10)	2,581.2	286.8	2,868
(iv).	खंड 3 के अंतर्गत उल्लिखित नोट में प्रति टोली अधिकतम राजस्व **(ii/iii) (**रु./टोली)	25,578	15,347	24555 **औसतन**
(v).	दिनांक 4 अगस्त 2014 के आदेश में खंड 3 के अंतर्गत उल्लिखित नोट में प्रति टोली अधिकतम राजस्व **(**रु./टोली)	24555	14733	23573 **औसतन**
(vi).	दिनांक 4 अगस्त 2014 के आदेश में संशोधित नोट के अनुसार **,** केपीटी हानि का भार वहन करेगा क्योंकि नोट में प्रति टोली अधिकतम राजस्व के गलत निर्धारण के कारण पोतीय मजदूरों को लौटाना पड़ेगा । **(**रु./टोली**) (iv-v)**	1023	614	982 **औसतन**
(vii).	अत: केवल नोट के प्रयोजन के लिए संशोधित अधिकतम राजस्व की सही राशि**, (रु./टोली)**	**25,578**	**15,347**	--

4.4. यह पुन: उल्लेख किया जाता है कि यह संशोधन, अधिकतम राजस्व प्रति टोली के निर्धारण हेतु उल्लिखित, केवल नोट में किया जाना है। यह संशोधन केवल तटीय रियायतों के पात्र कार्गो के लिए आवश्यक है। तटीय रियायत के अपात्र कार्गो के लिए, प्रति टोली अधिकतम राजस्व रु. 24,555 ही रहेगा। केपीटी द्वारा संशोधित नोट का प्रस्ताव करते समय, 'तटीय रियायत के पात्र नही' श्रेणी के कार्गो के लिए अधिकतम राजस्व प्रति टासेली का उल्लेख नहीं किया गया है । भ्रम से बचने के लिए, हमारे द्वारा प्रस्तावित नोट के संशोधन में, तटीय रियायत की अपात्र श्रेणियों के कार्गो के लिए प्रति टोली अधिकतम राजस्व के निर्धारण की आवश्यकता है ।

4.5. चूंकि अगस्त 2013 के आदेश में निधारित प्रति टन दर का लागू किया जाना अनुसूची में निर्धारित नोट के साथ परस्पर संबंद्ध है इसलिए संशोधन को 13 अगस्त 2013 के आदेश से प्रभावी किए जानेकी आवश्यकता है।

5.1. परिणामत: और उपर्युक्त कारणों से और समग्र विचार विमर्श के पश्चात यह प्राधिकरण आदेश सं. टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 04 अगस्त, 2014 द्वारा अनुमोदित, अध्याय 3 के खंड 3 के अंतर्गत उल्लिखित नोट के स्था पर निम्लिखित नोट को प्रस्थापित करता है:

> *"प्रति टोली लागत के परिकलन के लिए, पोतीय मजदूरों द्वारा प्रहस्तित वास्तविक मात्रा के राजस्व को वास्तविक टोलियों की संख्या से विभाजित किया जाए और उसकी, राजस्व-मांग प्रति टोली के साथ तुलना की जाए। यदि, प्रति टोली वास्तविक राजस्व विदेशी कार्गो के प्रहस्तन के लिए अधिकतम औसतन राजस्व -मांग प्रति टोली रु. 25,578/- या तटीय कार्गो (तापी कोयला क्रूड आयल, लौह अयस्क और लौह अयस्क पल्लों सहित पीओएल को छोड़ कर) के लिए रु.15,347/- और विदेशी और तटीय कार्गो दोनों के, तापीय कोयला कोयला, क्रूड आयल, लौह अयस्क और लौह अयस्क पल्लों सहित पीओएल के प्रहस्तन के लिए रु. 24,555/- प्रति टोली से अधिक हो, तो आधिक्य पोतीय मजदूरों को दिया जाएगा जबकि कम होने पर कमी, पोतीय मजदूरों से वसूल की जाएगी।"*

5.2. यह संशोधन आदेश सं टीएएमपी/41/2012-केपीटी दिनांक 13 अगस्त, 2013 के लागू होने की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।

5.3. केपीटी को, दरमानों में संबंधित नोट उपयुक्तत: संशोधित करने का परामर्श दिया जाता है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/2015(222)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd September, 2015

No. TAMP/41/2012-KPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the request made by the Kandla Port Trust to amend the note prescribed in the Order No.TAMP/41/2012-KPT dated 4 August 2014 relating to fixation of per tonne rate for on-board labour of Cargo Handling Division of the Port as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/41/2012-KPT

Kandla Port Trust … Applicant

QUORUM:

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on 4th day of September, 2015)

This case deals with the request made by Kandla Port Trust (KPT) to the amend the note prescribed in the Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 4 August 2014 relating to fixation of per tonne rate for on-board labour of Cargo Handling Division (CHD) of the KPT approved by this Authority vide Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13 August 2013.

2.1. This Authority had passed an Order No.TAMP/41/2012-KPT dated 13 August 2013 disposing of the proposal filed by the KPT for fixation of per tonne rate for on-board labour of CHD of the port which was notified in the Gazette of India on 2 September 2013 vide Gazette No. 229.

2.2. In the said Order, based on the submissions made by the KPT, the following Note was prescribed below clause 3-Charges for Composite Rate for On-Board Labour of Cargo Handling Division under Chapter III of the Scale of Rates (SOR) of the KPT:

> *"The revenue for actual quantity handled by a stevedore to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. ` 24,555/-, the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered from the stevedore*."

2.3. Subsequently, the KPT vide its letter dated 10 March 2014 sought amendment to the said note. The KPT requested to replace it with the following note so as to reportedly remove the anomaly relating to revenue requirement for handling foreign and coastal cargo:

> *"The revenue for actual quantity handled by a stevedore to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per*

gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. `25,575 for Foreign Cargo (other than iron ore and thermal coal), `15347/- for Coastal Cargo (other than iron ore and thermal coal) and ` 24,555/- from iron ore and thermal coal, the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall, the same shall be recovered from the stevedores"

2.4. In view of the above request of KPT, this Authority passed an Order no.TAMP/41/2012-KPT dated 4 August 2014. In the said Order, the note prescribed under Clause – 3 in the Order No.TAMP/41/2012-KPT dated 13 August 2013 was replaced with the following note:

"*The revenue for actual quantity handled by a stevedore is to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. `24,555/- for handling foreign cargo or ` 14733/- for handling coastal cargo (other than thermal coal and POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets), the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered from the stevedore*."

2.5. The said amended note was made effective from the date the original Order No.TAMP/41/2012-KPT dated 13 August 2013 came into effect.

3.1. In connection with the said Order dated 4 August 2014, the KPT *vide* its letter dated NIL September 2014 has made the following submissions:

(i). Para 4(vii). (a). of the Order dated 4 August 2014 states that the impact of coastal cargo has already been captured for entitled cargo i.e. cargo other than thermal coal and iron ore in computing the average revenue per gang of `24,555. As per the example cited in the said para of the Order, the total revenue for the traffic projected from fertilizer cargo works out to `66,021,817 and `4,401,454 at the rate of `59.51 per tonne and `39.71 per tonne for foreign and coastal cargo respectively, aggregating to `70,423,271. Considering 2868 gangs, the per gang revenue comes to `24,555. Thus, the impact of coastal cargo is already captured while arriving at the levy for foreign cargo.

(ii). It is admitted that the impact of coastal cargo is captured while arriving at the levy for foreign cargo. However, if same is not considered in the note prescribed under clause 3, then the impact of coastal cargo rate already captured while arriving at levy for foreign cargo will be taken away.

(iii). With reference to the example cited in the para 4 (vii) (a), of the Order dated 4 August 2014, the port has stated that considering 90:10 ratio for foreign and coastal cargo respectively, average revenue requirement for foreign and coastal cargo is worked out as under:

Total gangs	2868
Foreign: Coastal ratio	90:10
No. of gangs to handle foreign cargo	2581.2
No. of gangs to handle coastal cargo	286.8
Average revenue per gang from Foreign cargo	66021817 / 2581.2 = `25577.95 per gang
Average revenue per gang from Coastal cargo	4401454 / 286.2 = `15346.77 per gang

(iv). Therefore, as per the amendment to the note no. 3 prescribed in the Order dated 4 August 2014, the loss per gang to KPT on handling foreign and coastal cargo is:

Foreign Cargo	`25577.95 (minus) `24555.00 = `1022.95 per gang
Coastal cargo	`15346.77 (minus) `14733.00 = `613.77 per gang

(v). Considering foreign and coastal cargo in the ratio of 90:10 for every 10 units of cargo handled by port, the on board labour charges shall have to be recovered as under:-

As per KPT's Proposal	**As per TAMP's Order dt.4.8.2014**

(in `)			(in `)		
Foreign Cargo	9*25578=	230202	Foreign Cargo	9*24555=	220995
Coastal Cargo	1*15347=	15347	Coastal Cargo	1*14733=	14733
Total for 10 units		245549	Total for 10 units		235728
Therefore per unit =		24554.9	Therefore per unit =		23572.8
Say `		24555/-	Say `		23573/-

(vi). In view of the above, as per its proposal the average per gang revenue should be ` 24,555/- which is as per TAMP Order dated 13 August 2013. Whereas as per TAMP Order dated 4 August 2014, the average revenue per gang will be ` 23,573/-, which is less than the average per gang revenue requirement approved by TAMP vide Order dated 13 August 2013.

3.2. In view of the above the KPT has requested to review the average revenue requirement prescribed in the note for handling foreign and coastal cargo to ` 25,578/- and ` 15,347/- in respect of cargo other than thermal coal and POL including crude oil, iron ore and iron ore pallets respectively instead of ` 24,555 and ` 14,733 prescribed for the foreign / coastal cargo in the Order dated 4 August 2014. The KPT has accordingly proposed the following note (modification is highlighted bold):

"The revenue for actual quantity handled by a stevedore is to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. ***`25578/-*** *for handling foreign cargo or* ***` 15347/-*** *for handling coastal cargo (other than thermal coal and POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets), the surplus will be refunded to the stevedore while incase of shortfall the same shall be recovered from the stevedore."*

3.3. The KPT has subsequently followed up this matter regularly.

4.1. As per the Cost Statement attached as Annex-II to the Order dated 13 August 2013, the average revenue requirement for CHD is assessed at ` 24,555 per gang. Taking the average revenue requirement at ` 24,555 per gang, the per tonne rate is arrived for each of the commodities capturing the impact of concession available to coastal cargo. The KPT has also admitted that the impact of coastal cargo is considered in arriving at the per tonne rate for foreign cargo and coastal cargo rate. It has to be recognized that in the instant case implementation of the per tonne rate is also governed by the note prescribed under the schedule. As per the said note, the actual revenue collected by the stevedores at the prescribed per tonne rate has to be divided by the gang deployed to arrive at the actual revenue earned per gang. This has to be compared with the maximum revenue per gang prescribed in the note i.e. ` 24,555 / gang for foreign cargo and ` 14,733 / gang for coastal cargo. The contention of KPT is that while the impact of coastal concession is considered while prescribing the per tonne rate, the impact of coastal concession is not considered in the note while prescribing the maximum revenue per gang based on the average revenue per gang estimated at ` 24,555 for foreign cargo / coastal cargo. As a result, there is loss to the port which is explained by the KPT with example.

4.2. For this purpose the example given in the said Order with reference to traffic of fertilizer / fertilizer raw material (break bulk cargo) estimated by KPT at 1,109,422 tonnes of foreign cargo (90%) and 123,269 tonnes of coastal cargo (10%) is brought out below in a tabular format:

Sl. No.	Particulars	Fertilizer / fertilizer raw material (Foreign cargo 90%)	Fertilizer / fertilizer raw material (Coastal cargo 10%)	Total
(i).	Traffic estimates of Fertiliser/ Fertiliser Raw Material as considered in 13 August 2013 Order (in tonnes)	1,109,422	123,269	1,232,691
(ii).	Rate prescribed in the said Order dated 13 August 2013 after considering the impact of coastal concession (` per tonne)	59.51	35.71	--

(iii).	Revenue collected at the rate prescribed rate (in `)	66,021,703	4,401,936	70,423,639
(iv).	Total no. of gangs to be deployed			2,868
(v).	Average revenue requirement per gang (in `/ gang)			24,555
(vi).	**Average revenue requirement prescribed in the note in Clause 3 in the Order dated 4 August 2014.** **(` Per gang)**	**24,555**	**14,733** **(for cargo other than thermal coal, POL including crude oil, iron ore pellets and iron ore.)**	**--**

The revenue estimates furnished in the above table at Sr. No. (iii), slightly differs from the revenue estimates indicated in para 4 (vii) of the Order which states revenue for traffic prescribed for fertilizers cargo at ` 66,021,817 for foreign cargo and ` 4,401,454 for coastal cargo aggregating to ` 70,423,271. This is because the unit rate in excel working considered in the August 2014 Order did not round off decimals into two digits. This, however, was only to cite as an example and does not change the average revenue per gang which comes to ` 24,555 per gang as estimated in the Order dated 13 August 2013, 4 August 2014 and in the current exercise.

4.3. With reference to the said example the KPT by way of calculation has shown that non consideration of impact of Coastal Concession in the maximum revenue per gang prescribed in the note below clause 3 under Schedule will lead to loss of `1,033 per gang for foreign cargo and ` 614 per gang for coastal cargo. This situation arises because the gang which is to be deployed to handle coastal and foreign cargo, has not been segregated in the ratio of foreign/ coastal for the purpose of prescribing the maximum revenue per gang in the note. The detailed example now furnished by the KPT for arriving at the figure of ` 25578/ gang for foreign cargo was not furnished by the KPT while processing the earlier Order dated 4 August 2014. Based on the submission by KPT which is supported with an example as given in para 3.1.(iii), (iv) and (v) above, there appears to be a case to modify the amended note prescribed in the Order dated 4 August 2014 as proposed by the KPT. The example given by the KPT in its submissions is brought out below in a cohesive manner:

Sl. No.	**Particulars**	**Fertilizer / fertilizer raw material (Foreign cargo 90%)**	**Fertilizer / fertilizer raw material Coastal cargo 10%)**	**Total**
(i).	Average revenue per gang prescribed by the Authority in the Order dated 4 August 2014 (`/gang)	24,555	14,773	--
(ii).	Revenue collectable at the prescribed per tonne rate (in `) as given at Sl No. (iii) in para 4.3. above	66,021,703	4,401,936	70,423,639
(iii).	Gangs to be deployed (Ratio of 90:10)	2,581.2	286.8	2,868
(iv).	Maximum revenue per gang in the Note prescribed under clause 3 should be (ii/iii) (` / gang)	25,578	15,347	24555 Avg
(v).	Maximum revenue prescribed in the note under clause 3 in the Order dated 4 August 2014 is (` / gang)	24555	14733	23573 Avg
(vi).	As per the amended note in the Order dated 4 August 2014, the KPT will incur loss as it will have to refund to the Stevedores due to incorrect prescription of the maximum revenue per gang in the note (`/ gang) (iv-v)	1023	614	982 Avg

(vii).	**Hence the maximum revenue only for the purpose of the note need to be corrected as** (` /gang)	**25,578**	**15,347**	--

4.4. It is reiterated that the amendment is required only in the note in the prescription of the maximum revenue per gang. This amendment is required only for cargo entitled for coastal concessions. For cargo not entitled for coastal concession, the maximum revenue per gang will remain ` 24555/- per gang. The KPT while proposing the amended note has not mentioned the maximum revenue per gang for the cargo categories not entitled for coastal concession. In the amendment to the note proposed by us, maximum revenue per gang for the cargo categories not entitled for coastal concession needs to be prescribed to avoid any ambiguity.

4.5. Since the implementation of the per tonne rate prescribed in the August 2013 Order is interlinked to the note prescribed under the schedule, the amendment **may have to be** given effect from the date the Order of 13 August 2013 came into effect.

5.1. In the result, and for the reason given above, and based on a collective application of mind, this Authority replaces the note prescribed under Clause- 3 of Chapter III approved vide Order No.TAMP/41/2012-KPT dated 4 August 2014 as follows:

> "*The revenue for actual quantity handled by a stevedore is to be divided by the actual numbers of gangs supplied to arrive at the per gang cost and compare the same with the revenue requirement per gang. If the actual revenue per gang is more than the maximum average revenue requirement per gang i.e. `25,578/- for handling foreign cargo or `15,347/- for handling coastal cargo (other than thermal coal and POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets) and `24,555/- per gang for both foreign and coastal cargo from thermal coal, POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets, the surplus will be refunded to the stevedore while in case of shortfall the same shall be recovered from the stevedore*."

5.2. The amendment approved will be deemed to have come into effect from the date the Order No. TAMP/41/2012-KPT dated 13 August 2013 came into effect.

5.3. The KPT is advised to suitably modify the relevant note in its Scale of Rates.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/2015(222)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.